डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जुलाई 2001—आषाढ़ 29, शक 1923

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-3/13/2001.— मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा-79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

(1) 1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम, विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.
2. यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर प्रवृत्त होगा.

(2) समय-समय पर यथासंशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती हैं तथा प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त अधिनियम में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाय.

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, आदेश, नियम, प्ारूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965.
2.	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का विनियम.

Raipur, the 20th July 2001

NOTIFICATION

No. F-10-3/13/ 2001 .—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

(1) (i) This order may be called the Adaptation Order, 2001.
(ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

(2) The laws as amended from time to time, as specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh,until in the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever it occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

(3) Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the Schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	The Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965.
2.	Regulation of the Board of Secondary, Education Madhya Pradesh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. मिन्ज, संयुक्त सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.